फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर (ग्रामीण)

मदनलाल बनाम तहसीलदार फुलेरा व अन्य

प्रकरण संख्या 116 /2023 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
[illegible].08.2023	राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05 अगस्त 2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नव जिले जयपुर (ग्रामीण) का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पीठासीन अधिकारी महोदय आज अवकाश पर है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 14.09.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर) रीडर न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर (ग्रामीण)	
14.9.23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया है कि तहसीलदार फुलेरा के पीठासीन अधिकारी पद पर नये पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो गया है। प्रार्थी अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने तहसीलदार फुलेरा के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 151/2021 व उनवानी सरकार बनाम मदन लाल व अन्य में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी हरिसिंह राव से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। तहसीलदार फुलेरा के पद पर नये पीठासीन अधिकारी हरेन्द्र मूंड का पदस्थापन हो जाने से तत्कालीन पीठासीन अधिकारी के विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (प्रकाश राजपुरोहित) जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)	